माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2016–17 निगरानी निग–2643–PBR–16

श्रीमती राजूबाई पति कैलाश, जाति खाती, उम्र 50 वर्ष
धंधा–खेती निवासी–ग्राम बरखेडा कृषक ग्राम पाड़ल्या
तहसील टोकखुर्द जिला देवास म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

अंगद पिता नाथुसिंह, जाति कंजर धंधा–खेती निवासी–
ग्राम चिड़ावद तहसील टोकखुर्द जिला देवास म.प्र.
.......अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है :–

1. यह कि, आवेदक की भूमि सर्वे क्र. 1966/2 ग्राम पाड़ल्या तहसील टोकखुर्द जिला देवास में स्थित है, उक्त भूमि पर आवेदिका काबिज कास्त चली आ रही है। अनावेदक अंगद द्वारा असत्य रूप से उसकी भूमि का सीमांकन करवाया गया जिसमें आवेदिका को कोई सूचना पत्र प्रेषित नही किया उसके विरूद्ध असत्य रूप से सीमांकन की रिपोर्ट तैयार की है। जिसमें आवेदिका को कोई सूचना पत्र नही भेजा इसके बावजूद राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा असत्य सूचना पत्र, स्थल निरीक्षण एवं सीमांकन बाबत् प्रतिवेदन भेजा गया हैं। जिसमें आवेदिका को गलत तरीके से कब्जे के रूप में सीमांकित कर असत्य रिपोर्ट दिनांक 04/06/2016 को तहसीलदार महोदय तहसील टोकखुर्द जिला देवास को प्रस्तुत की है इस सम्बन्ध में तहसीलदार टोकखुर्द द्वारा भी आवेदिका को कोई सूचना पत्र प्रेषित नही किया गया है अनावेदक अंगद आवेदिका महिला की जमीन पर आकर दादागिरी करने लगा और बोला कि मैंने तो तुम्हारे विरूद्ध कब्जे का आर्डर ले लिया है कभी भी तुम्हारी जमीन छीन लो। जबकि

निरन्तर....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2643-पीबीआर/16 **जिला-** देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	